


न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
	<p>गुण 5/17 तारीख 14-2-17</p> <p style="text-align: center;">उत्तमान - राम रज बजाग जी पं जगदीश प्रसा</p> <p style="text-align: center;"><u>इजारा</u></p> <p>डिप्टी नगर की ओर से सुनील कुमार 1960 ने डिप्टी की पालना के लिए इजारा पेश की। पालना के लिए साठ तहसीलदार बालराज को लिखा जाये। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रार कर दिनांक 15-3-17 को पेश हो।</p>	<p>535</p> <p>17-2-17</p>
15-3-17	<p>वकील डिप्टी नगर उप/ बसन्त नगर पालना रिपोर्ट दिनांक 11-4-17 को पेश हो।</p>	
11-4-17	<p>वकील डिप्टी नगर उप/ तहसीलदार जगदीश बालराज को हाजिर पत्र जारी कर / दिनांक 16-5-17 को पेश हो।</p>	
23-5-17	<p>पत्रावली राजस्थान लोक अदालत शिविर <u>जगदीश प्रसा</u> को पेश हुई। आर्इन्स दिनांक 22-7-17 को पेश हो।</p>	
7-7-17	<p>वकुलाय उपजिला पीठासन अधिकारी <u>जगदीश प्रसा</u> को पत्रावली गता <u>जगदीश प्रसा</u> दिनांक 28-7-17 को पेश हो।</p>	
28-7-17	<p>वकुलाय उपज/ पालना रिपोर्ट जब नहीं थी निर्दिष्ट की प्रति के साथ तहसीलदार जगदीश एवं नाथ बालराज नगर बालराज को पुनः पत्र लिखा जाये / पालना जगदीश को दिनांक 28-8-17 को पेश हो।</p>	


 उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करोली)

जगदीश प्रसा
 उपजिला कलेक्टर

न्यायालय उप जिला कलेक्टर तोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
28-8-17	वकील डिक्लीडर उप/ उपा/ उपा/ वकील पालना रिपोर्ट दिनांक 22-9-17 को पेश हो।
22-9-17	वकील डिक्लीडर उप/ उपा/ उपा/ वकील पालना रिपोर्ट दिनांक 13-10-17 को पेश हो।
13-10-17	डिक्लीडर वकील उप/ पालना के लिए तहसीलदार सेना को पत्र लिखा जावे। पालना दिनांक 14-11-17 को पेश हो।
14-11-17	वकील डिक्लीडर उप/ वकील पालना के पत्र नवी लिखा गया है। अब लिखक पालना दिनांक 08-12-17 को पेश हो।
20-12-17	वकील डिक्लीडर उप/ पत्र लिखक पालना रिपोर्ट तलब कर दिनांक 23-1-18 को पेश हो।
6760 27-12-17	
23-1-18	वकील डिक्लीडर उप/ वकील पालना रिपोर्ट दिनांक 21-2-18 को पेश हो।
21-2-18	वकील डिक्लीडर उप/ वकील पालना रिपोर्ट दिनांक 26-3-18 को पेश हो।
26-3-18	वकील डिक्लीडर उप/ पालना रिपोर्ट के लिए तहसीलदार से लिखा जावे। दिनांक 18-4-18 को पेश हो।

म
न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

3-4-18 अवकाश

3-4-18 वकील सिद्धिदा (उप) कलक्टर पालना सिधोठ राजस्व लोक अदालत कैम्प जगदीशपुरा में दि 23-5-18 को पेश हो

15-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय कैम्पे द्वा
कैम्प जगदीशपुरा में पेश हुई। जायब तहसीलद्वारा
कालवाट में अफील के निर्णय की प्रालम्भा में अफील
संख्या 346 दिनांक 23-5-18 से पालना वर सिधोठ
उत्तुल की की प्रकाश में अब कार्यवाही उपेक्षित
नहीं है पत्रावली में कार्यवाही द्वाप की जाती है
पत्रावली के साथ शुभा टिकर नम्बर लि कम होकर
दाखिल दफता है

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)